इंटेरनेशनल ब्रांड की लोकल तस्वीर!!!

जिस गंदे,दुर्गंधयुक्त व प्रदूषित जल भराव के पास खड़े रहना भी मुश्किल, उसके मात्र कुछ कदमो की दूरी पर स्थित है बिकाजी का सबसे बड़ा फूड प्लांट!!!

सबसे बड़ा सवाल??

आखिर कैसे प्रदूषण नियंत्रण विभाग,केंद्रीय भूजल बोर्ड और FSSAI सहित आधा दर्जन विभागो द्वारा जारी की गयी एनओसी और संबन्धित अनुमतियाँ?

बीकानेर के करणी विस्तार इंडस्ट्रियल क्षेत्र मे स्थित बिकाजी का फूड प्लांट!!!

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)
वॉल्यूम न.– 2022/kdgl/03 E-Newsletter, Issued in Public Interest शुक्रवार, 14 जनवरी 2022

क्या बिकाजी के नए प्लांट को फायदा पहुचाने की मंशा से रिको के अधिकारियों द्वारा प्लान किया गया था, बीकानेर का करणी औद्योगिक क्षेत्र फेज तृतीय(विस्तार)?

आखिर क्यूँ मुकर रहा रिको सीईटीपी लगाने से?

विशेष रिपोर्ट-5

क्या रिको की वादा खिलाफी पड़ेगी बिकाजी और अन्य उद्योगों पर भारी?

इस प्रदूषित जल भराव का टीडीएस 2000 से भी ऊपर, क्या पड़ रहा है आस-पास के उद्योगों पर इसका दुष्प्रभाव?

आखिर वर्ष 2017 मे 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र मे गंदा और प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी की गयी थी,रिको को पर्यावरण स्वीकृति?

इस 300000 वर्ग मीटर जल भराव क्षेत्र मे से 130000 वर्ग मीटर पर कचरा डाल कर किए जा चुके है अतिक्रमण और अवैध कब्जे!!!

वर्तमान मे 60 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र मे फैले बिकाजी के प्लांट के सामने 170000 वर्ग मीटर क्षेत्र मे प्रदूषित जल भराव!!

इतने बड़े भूभाग पर गंदा और प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी की गयी बिकाजी को प्रदूषण मण्डल द्वारा कनसेंट टु ओपरेट?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या बिकाजी के फूड प्रोसेसिंग मे काम आने वाला भूजल नहीं प्रभावित हो रहा इस प्रदूषित जल भराव से?

भूजल विभाग,भारत सरकार द्वारा कितने ट्यूबवेल लगाने की अनुमति प्रदान की गयी थी बिकाजी को?

वर्तमान मे क्या बिकाजी भूजल विभाग के प्रावधानों की पालना कर रहा है?

क्या वाकई बिकाजी द्वारा अपने करणी विस्तार स्थित प्लांट के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गयी है?

भूजल विभाग द्वारा बीकानेर ज़ोन मे मात्र 16 इंडस्ट्रीयों को भूजल दोहन की अनुमति जिसमे से 2 अनुमति बिकाजी के प्लांटों के नाम!!

गंदे और प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी हुआ बिकाजी को FSSAI द्वारा फूड लाइसेन्स?

क्या नेस्ले की मेगी जैसा होगा बिकाजी का हश्र???

FSSAI को क्या प्रस्तुत किया गया है बिकाजी द्वारा रिकाल प्लान?

रिको और सरकार नहीं सुन रही स्थानीय व्यापारियों की सीईटीपी लगाने की फ़रियाद!!क्या एनजीटी ही है आखरी उपाय???

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

बिकाजी द्वारा अपने निवेशकों को बताई जा रही है यह सुखद तस्वीर,जबकि हकीकत इसके विपरीत है

क्या यह हैरान कर देने वाली तस्वीर,बिकाजी की रिको,प्रदूषण नियंत्रण विभाग,केंद्रीय भूजल विभाग और FSSAI सहित आधा दर्जन संस्थाओं के साथ हुई साँठ-गांठ को उजागर करने के लिए काफी नहीं है??

बिकाजी का प्लांट

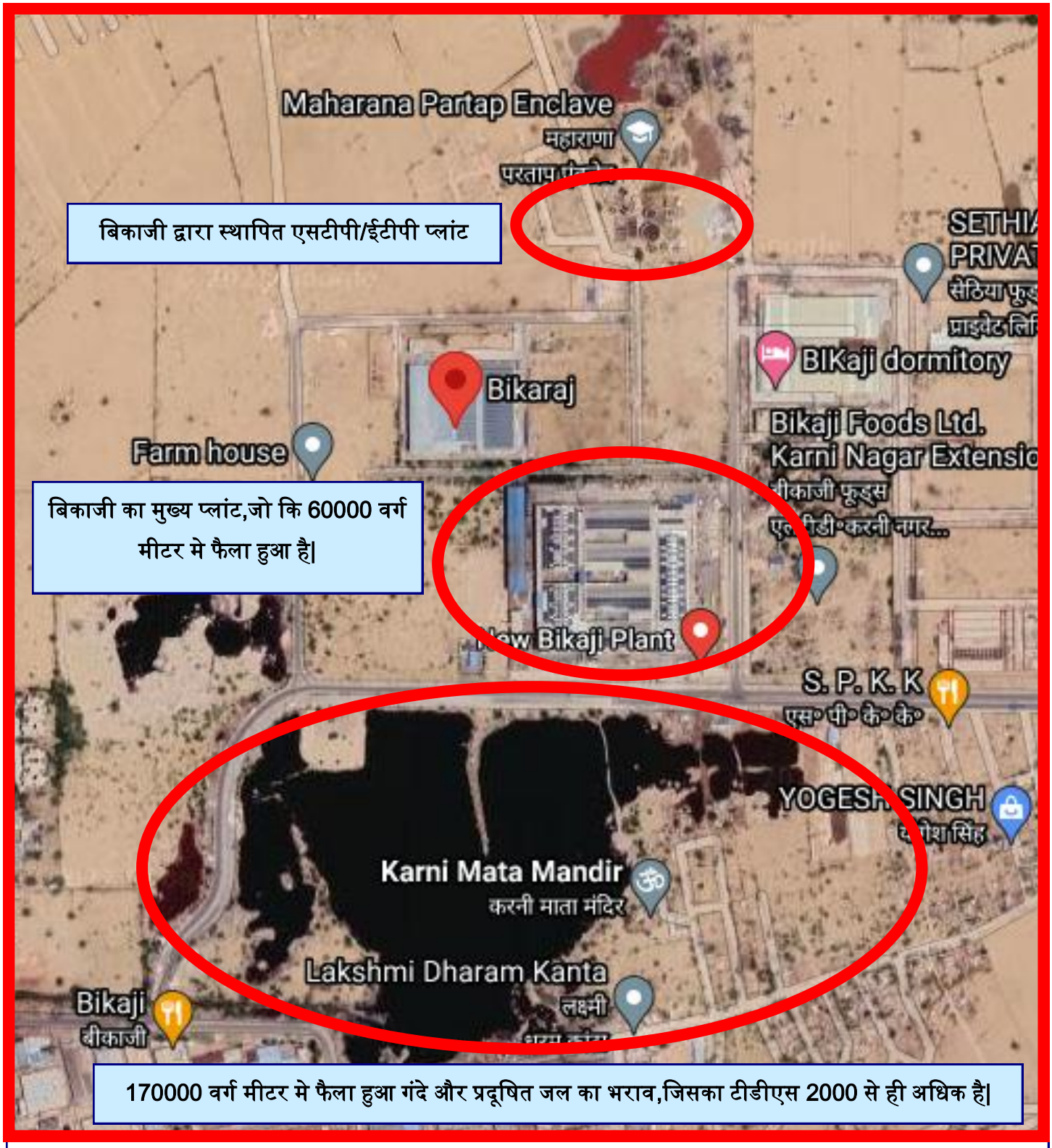

गूगल मेप से खींची गयी यह तस्वीर बिकाजी के प्लांट और गंदे और प्रदूषित जल भराव की सच्ची तस्वीर बयान कर रही है|

रिको द्वारा स्थापित किया गया था करणी इंडस्ट्रियल क्षेत्र विस्तार

बीकानेर स्थित बिछवाल इंडस्ट्रियल क्षेत्र मे 500 से ज्यादा ओद्योगिक इकाइयां संचालित है इनमे से अधिकतर ऊन और खाद्य व्यवसाय से जुड़ी इकाइयां है|बिछवाल इंडस्ट्रियल क्षेत्र मे इकाइयों की अधिकता हो जाने के कारण रिको द्वारा चक गरबी और 7 बीकेएम गाँव की 86.82 हेक्टेयर जमीन पर करणी इंडस्ट्रियल क्षेत्र विस्तार की योजना अमल मे लायी गयी|इस नए क्षेत्र मे रिको द्वारा 157 ओद्योगिक प्लॉट और 379 आवासीय प्लॉट सृजित किए जाने थे,इसके अलावा मूलभूत आवश्यकताए जैसे सड़कें,ड्रेनेज,बिजली-पानी,ग्रीन बेल्ट,फायर स्टेशन आदि अलग से विकसित की जानी थी|इस ओद्योगिक क्षेत्र के लिए पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हुई जन सुनवाई मे रिको द्वारा स्पष्ट किया गया था कि रिको द्वारा इस ओदद्योगिक क्षेत्र हेतु 26 करोड़ रुपए सीईटीपी एवं 1.75 करोड़ एसटीपी हेतु बजट मे प्रावधान किया गया है|इसके अलावा अपशिष्ट लेंडफिलिंग हेतु 3 करोड़,आंतरिक ड्रेनेज हेतु 4 करोड़ और ग्रीन बेल्ट के लिए 3.71 करोड़ के भी प्रावधान किए जाने की बात कही गयी थी|

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के 6 साल बाद भी ना सीईटीपी का पता ना एसटीपी का|मौके पर मौजूद करीब 170000 वर्ग मीटर क्षेत्र मे जमा हुआ है गंदा और प्रदूषित जल|

लेकिन जैसा कि सरकारी कामो मे होता आया है,रिको द्वारा गलत बयानी करके पर्यावरण स्वीकृति तो हासिल कर ली लेकिन इसके बाद अपने किए गए वादो को भूल गया|जिसके चलते पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के 6 साल बाद भी ना तो सीईटीपी लग पाया और नाही एसटीपी|जिसका परिणाम यह हुआ कि इस ओदद्योगिक क्षेत्र के 300000 वर्ग मीटर क्षेत्र मे आस-पास की फेक्ट्रियों का गंदा और प्रदूषित जल यहाँ जमा होने लगा|वर्तमान मे इस 300000 वर्ग मीटर क्षेत्र भराव क्षेत्र मे से 130000

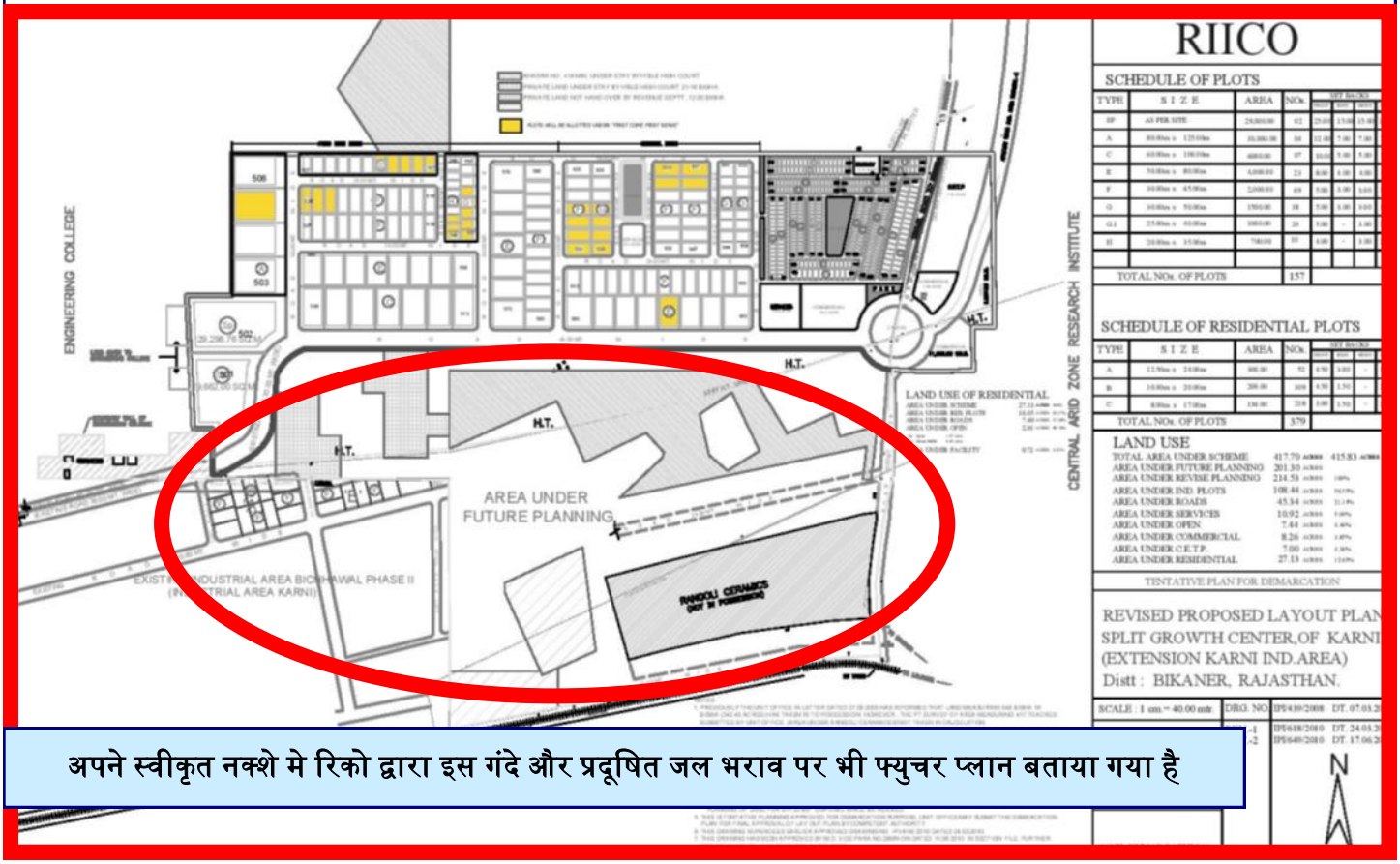

अपने स्वीकृत नक्शे मे रिको द्वारा इस गंदे और प्रदूषित जल भराव पर भी फ्युचर प्लान बताया गया है

वर्ग मीटर क्षेत्र पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसके चलते शेष बची 170000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर गंदे और प्रदूषित पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और बारिश व सर्दियों के दिनो मे तो रोड पर इस पानी का फैलाव इतना हो जाता है कि स्थानीय फेक्ट्रियों को कुछ दिनों के लिए काम भी बंद करना पड़ जाता है|

इस गंदे और प्रदूषित पानी का टीडीएस 2000 से भी ऊपर,व्यापक स्तर पर फैल रहा जल और वायु प्रदूषण!क्या पड़ रहा है आस-पास के उद्योगों पर इसका दुष्प्रभाव?

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिको की हटधर्मिता के कारण ना केवल पिछले कई वर्षो मे इस महत्वपूर्ण ओद्योगिक क्षेत्र की 300000 वर्ग मीटर कीमती जमीन पर आस-पास के उद्योगों का गंदा और प्रदूषित जल जमा हो रहा है,बल्कि आस-पास का जल/भूजल प्रदूषण और वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है|अब तो यह हालात है कि इस गंदे और प्रदूषित जल के स्त्रोत से निकलने वाली दुर्गंध के कारण इसके पास खड़ा होना भी नामुमकिन हो गया है|इतना ही नहीं स्थानीय एसोसियेशन के बड़े पदाधिकारी द्वारा नाम नहीं छापने की शर्त पर इस बात का खुलासा भी किया कि इस प्रदूषित जल का टीडीएस यदि नपवाया जाये तो इसका स्तर 2000 से भी ऊपर आएगा जो कि जल प्रदूषण के खतरनाक स्तर को इंगित करता है|सोचने वाली बात यह है कि इतने टीडीएस पर तो मछलिया भी मर जाती है तो इतने टीडीएस का जल भूजल को कितना प्रभावित कर रहा होगा?गौरतलब है कि इस जल भराव के निकट ही कई खाद्य इकाइयां संचालित है,जिनमे से एक इकाई तो अपने वर्ल्ड क्लास होने का दावा करती नहीं थकती है|

Level of TDS (milligrams per litre)	Rating
Less than 300	Excellent
300 - 600	Good
600 - 900	Fair
900 - 1,200	Poor
Above 1,200	Unacceptable

इस गंदे और प्रदूषित जल भराव के सामने स्थित है बिकाजी का सबसे बड़ा प्लांट

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस 170000 वर्ग मीटर गंदे और प्रदूषित जल भराव के सामने 60000 वर्ग मीटर क्षेत्र मे बिकाजी का सबसे बड़ा प्लांट संचलित किया जा रहा है|बिकाजी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार करणी विस्तार ओद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट संख्या E558-561,E573-57,C569-572,F585-592 और निकट के अन्य भूखंडो पर अपने उत्पादो का उत्पादन,भंडारण किया जा रहा है|प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के पास इस प्लांट के लिए प्रदूषण विभाग की कनसेंट टु ओपरेट,पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति,FSSAI द्वारा जारी फूड लाइसेन्स और केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा भूजल दोहन की अनुमति सहित आधा दर्जन विभागो की एनओसी/सर्टिफिकेट मौजूद है|लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खाद्य पदार्थो की मेनुफ़ेक्चरिंग करने वाली बिकाजी कंपनी की वर्ल्ड क्लास यूनिट को इतनी महत्वपूर्ण एनओसीयां जारी करने वाले प्रदूषण विभाग,पर्यावरण विभाग,FSSAI, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड और अन्य विभागो के जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्लांट के मौका निरीक्षण के दौरान 170000 वर्ग मीटर मे फैला गंदे और प्रदूषित जल का भराव क्यूँ नजर नहीं आया?

क्या रिको द्वारा बिकाजी को फायदा पहुचाने के लिए तो नहीं प्लान किया गया करणी विस्तार ओदद्योगिक क्षेत्र?

बीकानेर के एक बड़े व्यवसायिक घराने द्वारा नाम नहीं छापने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया गया कि केवल बिकाजी को निजी फायदा दिलाने के लिए ही करणी विस्तार ओद्योगिक क्षेत्र अमल मे लायी गयी थी और इसके प्लान मे कई बार संशोधन भी किए गए|गौरतलब है कि करणी विस्तार ओद्योगिक क्षेत्र मे बिकाजी फूड इंटेरनेशनल लिमिटेड और इसकी अन्य कंपनी हनुमान एग्रो फूड प्राईवेट लिमिटेड के नाम कई प्लॉट आवंटित है|बिकाजी को निजी फायदा पहुचाने के लिए ही रिको द्वारा लॉटरी से प्लॉटो का आवंटन नहीं कर फर्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व की नीति के तहत प्लॉट आवंटित किए गए,जिसके चलते ही करणी विस्तार ओदद्योगिक क्षेत्र की प्राइम लोकेशन पर बिकाजी के प्लॉट स्थित है|बिकाजी द्वारा ही रिको को पर्यावरण स्वीकृति दिलवाई गयी|इसका जीता जागता उदाहरण है कि पर्यावरण स्वीकृति जारी करने से पूर्व आयोजित की गयी जन सुनवाई मे स्थानीय एसोसियेशन को अपनी समस्याए बताने का मौका तक नहीं दिया गया और जन सुनवाई मे कोई विघ्न-बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए बिकाजी के अधिकतर कर्मचारियों की उपस्थिति मे उक्त जन सुनवाई आयोजित की गयी|

क्या बिकाजी के पास स्वयं के प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति मौजूद है?

बिकाजी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे यह दावा किया गया है कि उसने अपने करणी विस्तार ओद्योगिक क्षेत्र मे स्थित प्लांट के लिए पर्यावरण स्वीकृति हासिल की हुई है|जबकि हकीकत मे ऐसा नहीं है|पर्यावरण विभाग की वेबसाईट के अनुसार बिकाजी के किसी प्लांट को आज तक स्वतंत्र पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं की गयी है,जिससे स्पष्ट होता है कि बिकाजी कंपनी को पर्यावरण विभाग से किसी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि बिकाजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे अपने निवेशकों से अपने प्लांट की पर्यावरण स्वीकृति होने का झुंठ क्यूँ बोल रहा है?

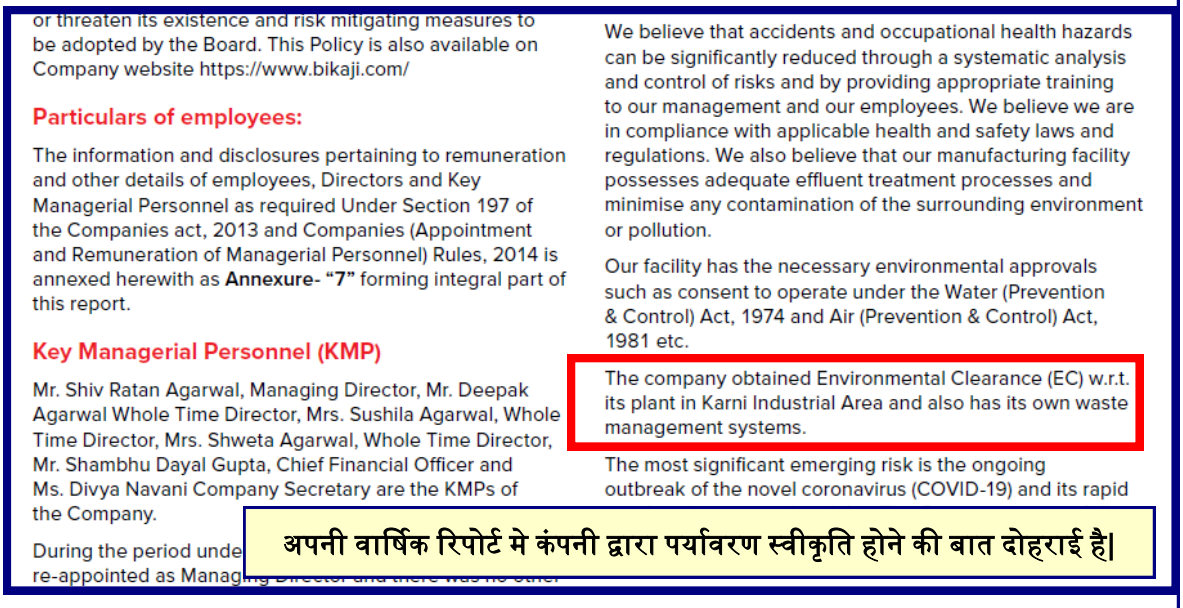

or threaten its existence and risk mitigating measures to be adopted by the Board. This Policy is also available on Company website https://www.bikaji.com/

Particulars of employees:

The information and disclosures pertaining to remuneration and other details of employees, Directors and Key Managerial Personnel as required Under Section 197 of the Companies act, 2013 and Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is annexed herewith as **Annexure- "7"** forming integral part of this report.

Key Managerial Personnel (KMP)

Mr. Shiv Ratan Agarwal, Managing Director, Mr. Deepak Agarwal Whole Time Director, Mrs. Sushila Agarwal, Whole Time Director, Mrs. Shweta Agarwal, Whole Time Director, Mr. Shambhu Dayal Gupta, Chief Financial Officer and Ms. Divya Navani Company Secretary are the KMPs of the Company.

During the period unde
re-appointed as Manag

We believe that accidents and occupational health hazards can be significantly reduced through a systematic analysis and control of risks and by providing appropriate training to our management and our employees. We believe we are in compliance with applicable health and safety laws and regulations. We also believe that our manufacturing facility possesses adequate effluent treatment processes and minimise any contamination of the surrounding environment or pollution.

Our facility has the necessary environmental approvals such as consent to operate under the Water (Prevention & Control) Act, 1974 and Air (Prevention & Control) Act, 1981 etc.

The company obtained Environmental Clearance (EC) w.r.t. its plant in Karni Industrial Area and also has its own waste management systems.

The most significant emerging risk is the ongoing outbreak of the novel coronavirus (COVID-19) and its rapid

अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे कंपनी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति होने की बात दोहराई है|

कैसे जारी की गयी बिकाजी के फूड प्लांट को प्रदूषण विभाग द्वारा कनसेंट टू ओपरेट(वायु और जल)?

आपको बता दें कि प्रदूषण विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी ओद्योगिक इकाई को प्रदूषण विभाग से कनसेंट टू ओपरेट लेना आवश्यक है|इस कनसेंट के अनुसार ही किसी भी इकाई को अपने प्लांट मे वायु और जल प्रदूषण का निस्तांतरण किया जाना होता है|प्रदूषण विभाग के नियमों के अनुसार फूड और फूड प्रोसेसनिग से जुड़ी इंडस्ट्री ऑरेंज केटेगीरी मे आती है|जिसके लिए भी सख्त नियमो की पालना करवाई जाती है|ऊपर बताए गए तथ्यों से जाहीर है कि बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट के सामने गंदे और प्रदूषित जल का अथाह भराव है,जिससे बिकाजी के प्लांट और आस-पास का भूजल भी प्रभावित होना तय है|साथ ही इस जल भराव से उठने वाली दुर्गंध से आस-पास की आबो हवा भी प्रदूषित होना तय है| इसके बावजूद ना केवल बिकाजी को वायु और जल से संबन्धित कनसेंट टू ओपरेट प्रदान की गयी बल्कि लाख शिकायतों के बावजूद बिकाजी के प्लांट का औचक निरीक्षण कर जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की जांच नहीं करवायी जा रही?गौरतलब है की प्रदूषण विभाग द्वारा 330 केएलडी शुद्ध जल से अधिक के उपयोग की अनुमति नहीं दी गयी है|साथ ही हेजार्डियस वेस्ट मेनेजमेंट की पालना करने की भी हिदायत दी गयी है|लेकिन इन शर्तों की पालना कतई नहीं की जा रही है|

कंपनी के बिछवाल स्थित प्लांट से दिन दहाड़े सीवरेज मे छोड़ा जा रहा बचा हुआ तेल और अन्य अपशिष्ट

बिकाजी द्वारा पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के किस्से यहीं नहीं थम रहे जानकारी मे आया है कि बिकाजी के बिछवाल स्थित प्लांट से निकलने वाला बचा-कुचा/जला तेल और अपशिष्ट स्थानीय सीवरेज मे छोड़ा जा रहा है|प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इस प्लांट से निकलने वाले जले हुए तेल को भरते एक व्यक्ति की तस्वीर भी वायरल की गयी है|जो कंपनी के विश्वस्तरीय होने के दावो की पोल खोलने के किए काफी है|

बिछवाल स्थित प्लांट से जला तेल निकालता व्यक्ति

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090

Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020

Unit Id : 45792

M/s Bikaji Food International Ltd.

Plot No. E-558-561, C 569-572, E 573-577, F-585-592, Karni Ext. RIICO Industrial Area , District:Bikaner

Sub: **Consent to Operate** under section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.

Ref: Your application for Consent to Operate dated 17/09/2019 and subsequent correspondence.

Sir,

Consent to Operate under the provisions of section 25/26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter to be referred as the Water Act) and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (hereinafter to be referred as the Air Act) as amended to date and rules & the orders issued thereunder **is hereby granted** for your **Bikaji Foods International LTD. plant** situated at **Plot No E-558-561, C 569-572, E 573-577, F-585-592, Karni Ext RIICO Industrial Area Bikaner Tehsil:Bikaner District:Bikaner** , Rajasthan, subject to the following conditions:-

1 That this Consent to Operate is valid for a period from **17/09/2019** to **31/08/2029** .

2 That this Consent is granted for manufacturing / producing following products / by products or carrying out the following activities or operation/processes or providing following services with capacities given below.

Particular	Type	Quantity with Unit
Bhujia Namkeen and Sweets	Product	240.00 TON PER DAY
Biogas Generator	Activity	600.00 KW
Frozen food & Sweets	Product	60.00 TON PER DAY
PAPAD	Product	20.00 TON PER DAY

3 That this consent to operate is for existing plant, process & capacity and separate consent to establish/operate is required to be taken for any addition / modification / alteration in process or change in capacity or change in fuel.

4 That the quantity of effluent generation along with mode of disposal for the treated effluent shall be as under:

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090

Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020

Unit Id : 45792

Type of effluent	Max. effluent generation (KLD)	Recycled Qty of Effluent (KLD)	Disposed Qty of effluent (KLD)and mode of disposal
Domestic Sewage	25.000	20.000	5.000 Sludge & Evaporation Loss
Trade Effluent	288.000	130.000	158.000 Plantation/Evaporation Loss/sludge etc. within premises

5 That the sources of air emmissions along with pollution control measures and the emission standards for the prescribed parameters shall be as under:

Sources of Air Emmissions	Pollution Control Measures	Prescribed	
		Parameter	Standard
D.G. Set-1500 KVA(1500KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	NOx (as NO2) (at 15% O2) day basis in ppmv	710 mg/Nm3
		NMHC (as C) (at 15% O2)	100 mg/Nm3
		PM (at 15% O2)	75 mg/Nm3
		CO (at 15% O2)	150 mg/Nm3
D.G. Set-500 KVA(500KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

प्रदूषण मण्डल द्वारा बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को जारी की गयी कनसेंट टू ओपरेट

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090

Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020

Unit Id : 45792

D.G.Set -1000 KVA(1000KVA)	ACOUSTIC ENCLOSURE , ADEQUATE STACK HEIGHT	NOx (as NO2) (at 15% O2) day basis in ppmv	710 mg/Nm3
		NMHC (as C) (at 15% O2)	100 mg/Nm3
		PM (at 15% O2)	75 mg/Nm3
		CO (at 15% O2)	150 mg/Nm3
one Thermopac- 10 LAC KCAL/HR(10LAC KCAL/HR)	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
Two Thermopac- 30 LAC KCAL/HR(30LAC KCAL/HR)	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
Two Thermopac- 6 LAC KCAL/HR(6LAC KCAL/HR)	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--
Two Thermopac-20 LAC KCAL/HR(20LAC KCAL/HR)	ADEQUATE STACK HEIGHT	--	--

6 That the **Bikaji Foods International LTD. plant** will comply with the standards as prescribed vide MOEF notification No. GSR 826(E) dated 16th November, 2009 with respect to National Ambient Air Quality Standards.

7 That the trade effluent shall be treated before disposal so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act-1986 for disposal **Into Inland Surface Water** . The main parameters for regular monitoring shall be as under

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090

Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020

Unit Id : 45792

Parameters	Standards
Total Suspended Solids	Not to exceed 100 mg/l
Oil and Grease	Not to exceed 10 mg/l
Biochemical Oxygen Demand (3 days at 27°C)	Not to exceed 30 mg/l
pH Value	Between 6.5 to 8.5
Chemical Oxygen Demand	Not to exceed 250 mg/l

8 **(A)** That the industry shall obtain all necessary permission from RIICO LTD, other concern authorities and District administration, Bikaner for operation of the plant.

(B) That this consent is not an evidence for ascertaining the title of land.

(C) That this consent is issued to the unit on the basis of documents submitted by the applicant, if any discrepancies is found in the document/facts submitted by the unit then the consent shall be treated as revoked without any further notice and the unit shall be liable for action in accordance with provisions of law.

(D) That this consent to operate is being issued for the capital investment of Rs. 304.19 cr.

(E) That this consent is valid subject to the fulfillment of all the other statutory requirement in other laws/acts/rules as applicable.

(F) That all orders, directions, guidelines and standards laid down by the Board from time to time shall be complied with.

(G) That the industry shall obtain Environmental Clearance from competent authority under EIA Notification dated 14.9.2006 for any such activity which attracts Environmental Clearance under EIA Notification dated 14.9.2006.

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090
Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020
Unit Id : 45792

9 **(A) That the industry shall maintain and operate the ETP of 1000 KLD to treat the trade effluent 288.00 KLD and STP of 100 KLD to treat the domestic waste water 25.00 KLD to avoid water pollution in and around the area.**
(B) That total Fresh water consumption shall not exceed 330 KLD.
(C) That the unit shall not abstract ground water without prior permission of CGWA.
(D)That the total water consumption shall not exceeds 480.00KLD (fresh – 330.00KLD + 150.00KLD) without prior permission of the Board.
(E)That the industry shall comply with the conditions of CGWA NOC issued vide letter dated 30/04/2015.
(F)That the hazardous waste generated from the process will be stored under the covered shed & will be disposed of as per the provisions of the Hazardous Waste(Management and handling) Rules, 2008.
(G)That the industry shall comply with provision of Hazardous Waste (Management,Handling & Transboundary Movement) Rules 2008.
(H)That this consent to operate is being issued for manufacturing of Bhujia, Namkeen & Sweets – 240.00 TPD, Papad – 20.00 TPD and Frozen food & sweets-60.00TPD with Bio Gas Generator-600 KW only. For any change in capacity of the services & area, the unit has to seek fresh consent to establish.
(I)That the unit shall provide & maintain adequate stack height & adequate infrastructure facility on 3 D.G.Sets of 1 x 1500 KVA, 1x 1000 KVA & 1x 500 KVA.
(J)That the industry shall provide & maintain required air pollution control measures and individual adequate stack height with one thermopac of 10 Lac.Kcal/hr, two thermopac of 20 Lac. K cal/hr, two thermopac of 30 Lac. K cal/hr,two thermopac of 6 Lac. K cal/hr. Further industry shall not allow to install any other air pollution source etc without prior permission of the Board under the Air Act 1981.
(K)That the industry shall ensure proper utilization and reuse of trade effluent and domestic waste water after adequate treatment for gainful purposes.
(L)That the industry shall provide & maintain adequate infrastructure facilities for stack monitoring to know the concentration of pollutant emitted in the atmosphere with 3 D.G.Sets of 1 x 1500 KVA, 1x 1000 KVA & 1x 500 KVA ,one thermopac of 10 Lac.Kcal/hr, two thermopac of 20 Lac. K cal/hr, two thermopac of 30 Lac. K cal/hr,two thermopac of 6 Lac. K cal/hr.
(M) That the industry shall install only one thermopac of 10 Lac.Kcal/hr & one D.G. set of 1500 KVA in expansion.

Head Office (MUID)

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090
Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020
Unit Id : 45792

10 **(A) That the unit shall not allow making any obstacles to any natural water flow i.e. natural nallah/stream carrying rain water to any water body.**
(B) That the water flow meters shall be provided at all suitable points to measure quantity of daily ground water abstraction, water consumption, trade effluent & domestic waste water generation, treated waste water recycled and utilized for plantation/gardening purposes. Daily record of the same shall be maintained and to be submitted to the Board.
(C) That the industry shall use their treated waste water for cooling tower make-up,floor washing, flushing & land scaping and maintain zero discharge status outside the premises.
(D) The industry shall comply with the standard as per prescribed vide MOEF notification NO.GSR 826(E) dated 16. Nov'2009 with respect to national ambient Air quality standards.
(E) That the industry shall ensure compliance of ambient air quality standard in respect of noise as prescribed under Environment (Protection) Act & Rules made therein.
(F) That the unit shall maintain plantation at least in the 33% of total area, using concept of the social forestry and development of green belt outside project premises in adjacent areas wherever adequate land is not available within the industrial premises.
(G) That the unit shall construct rain water harvesting structures for rain water harvesting within their premises.
(H) The industry shall not use pet coke and F.O. or any other such fuel which is banned by Hon'ble Supreme Court of India or any other Court of Law or Government of Rajasthan.
(I) That the industry shall provide the Oil & Grease trap in good condition, so that oil & grease coming with waste water from activities etc in the unit will retained in the trap.
(J)That the unit shall submit stack & ambient monitoring report from State Board & MoEF approved laboratory within one month.
(K)That this consent to operate shall be subject to compliance of any direction or order passed by Court of Law in the matter.
(L)In case, it is found during post inspection that, the unit has flouted the conditions of consent or provided inadequate control measures, the consent will be revoked and action will be initiated under the Provisions of Water & Air Acts without any further notice.

प्रदूषण मण्डल द्वारा बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को जारी की गयी कनसेंट टू ओपरेट

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090
Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020
Unit Id : 45792

11 That, not withstanding anything provided hereinabove, the State Board shall have power and reserves its right, as contained **under section 27(2) of the Water Act and under section 21(6) of the Air Act** to review anyone or all the conditions imposed here in above and to make such variation as it deemed fit for the purpose of **Air Act & Water Act.**

12 That the grant of this **Consent to Operate** is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.

13 That the grant of this **Consent to Operate** shall not, in any way, adversely affect or jeopardize the legal proceeding, if any, instituted in the past or that could be instituted againt you by the State Board for violation of the provisions of the Act or the Rules made thereunder.

This **Consent to Operate** shall also be subject, besides the aforesaid specific conditions, to the general conditions given in the enclosed Annexure. The project proponent will comply with the provisions of the **Water Act and Air Act** and to such other conditions as may, from time to time , be specified, by the State Board under the provisions of the aforesaid Act(s). Please note that, non compliance of any of the above stated conditions would tantamount to revocation of **Consent to Operate** and project proponent / occupier shall be liable for legal action under the relevant provisions of the said Act(s).

This bears the approval of the competent authority.

Yours Sincerely

Group Incharge[MUID]

(A): **Copy To:-**
1 P.S. to Chairperson, RSPCB, Jaipur..
2 Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Bikaner toensure compliance of CTO conditions and to inspect the unit to verify improvement ininfrastructure facility for air monitoring with D.G. sets and reuse of treated waste water forplantation along with analysis and monitoring reports within two months.
3 Master File.

Rajasthan State Pollution Control Board
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004
Phone: 0141-5159600,5159695 Fax: 0141-5159697

Registered

File No : F(MUID)/Bikaner(Bikaner)/6(1)/2013-2014/1087-1090
Order No : 2020-2021/MUID/5338 Date: 05/06/2020
Unit Id : 45792

Group Incharge[MUID]

कैसे जारी किया गया FSSAI द्वारा बिकाजी के इस फूड प्लांट को फूड लाइसेन्स?

अब सवाल उठता है FSSAI द्वारा बिकाजी के इस फूड प्लांट को जारी किए गए फूड लाइसेन्स का|जैसा कि विदित है कि FSSAI द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन,पेकेजिंग,भंडारण,ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए कड़े नियम बनाए गए है|बिकाजी के इस प्लांट को केंद्रीय स्तर से फूड लाइसेन्स जारी किया गया है ना कि राज्य सरकार द्वारा|जाहीर है कि जब लाइसेन्स जारी किया गया है तो केंद्र से कोई जिम्मेदार अधिकारी या अधिकारियों की टीम भी आई होगी मौका मुआयना करने|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि उन जिम्मेदार अधिकारियों को इतने बड़े क्षेत्र मे फैला गंदे और प्रदूषित जल का यह भराव क्यूँ नजर नहीं आया?या फिर जानबूझ कर नजर मे नहीं लाया गया?यदि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंदे और प्रदूषित जल भराव के संबंध मे सवाल भी उठाए होंगे तो कंपनी द्वारा कैसे और क्या जवाब दिये गए होंगे?क्या FSSAI के नियमों के तहत किसी बड़े गंदे और प्रदूषित जल भराव के नजदीक विश्व स्तरीय फैक्ट्री का दावा करने वाली कंपनी के प्लांट को खाद्य पदार्थों के उत्पादन,पेकेजिंग भंडारण की इजाजत दी जा सकती है?

क्या हुआ था मेगी का हश्र?

मैगी से जुड़ा यह विवाद कुछ साल पुराना है|भारत में नूडल्स के कारोबार पर नेस्ले इंडिया के उत्पाद 'मैगी' का राज था|साल 2015 में देश के कई राज्यों में सैंपल लिए गए और लेड की मात्रा अधिक होने की बात सामने आई|केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) मैसूरू में मैगी की जांच में लेड की मात्रा अधिक पाई गई थी|

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मैगी के नमूनों में लैड का स्तर अत्यधिक पाए जाने के बाद मैगी नूडल्स पर रोक लगा दी थी और इसे मानव उपयोग के लिए 'असुरक्षित और खतरनाक' बताया था| हालांकि, बाद में कंपनी ने उत्पाद में सुधार के दावे के साथ इसे फिर भारतीय बाजार में उतारा|

उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने उसी साल लगभग 3 दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून के एक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए नेस्ले इंडिया के खिलाफ एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज कराई थी|

सरकार ने कंपनी को अनुचित व्यापार तरीके अपनाने, झूठी लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों का दोषी बताते हुए 640 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की|नेस्ले इंडिया ने एनसीडीआरसी में चल रहे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा दिया था|न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) मैसूरू की रिपोर्ट कार्यवाही का आधार होगी। इसी संस्थान में मैगी के नमूनों की जांच की गई थी|

नैस्ले ने माना, हेल्दी नहीं मैगी

कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने इस बात को स्वीकार किया मैगी में लेड की मात्रा अधिक थी| पहले तर्क दिया गया था कि लेड की मात्रा परमीसिबल सीमा के अंदर थी|

कितना खतरनाक है लेड?

डॉक्टर्स के मुताबिक लेड सेहत के लिए खतरनाक है| अधिक लेड सेवन की वजह से किडनी खराब हो सकती है और नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है|तय मानक के अनुसार के किसी फूड प्रॉडक्ट में लेड की मात्रा 2.5 पीपीएम तक ही होनी चाहिए, लेकिन मैगी के नमूनों में इसकी मात्रा इससे काफी अधिक थी|

बिकाजी द्वारा FSSAI को क्या दिया गया है अपना रिकॉल प्लान?

वर्ष 2015 मे FSSAI द्वारा नेस्ले कंपनी को मैगी का समस्त स्टॉक FSSAI के रिकॉल नियम के माध्यम से उठाने के आदेश दिये थे|इसी नियम पर सख्ती करते हुए वर्ष 2018 मे FSSAI द्वारा देश की 200 खाद्य पदार्थों के उत्पादन और विपणन करने वाली कंपनियों को अपना रिकॉल प्लान प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे|जिसमे बिकाजी का भी नाम है|

अपने आदेश मे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को लिखित में बताया कि अगर कोई कपंनी रिकॉल ऑर्डर मानने से इनकार करती है तो संबंधित फूड अथॉरिटी उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है|कंपनियों को भेजे गए नोट में FSSAI ने लिखा है, 'रिकॉल ऑर्डर के उल्लंघन के लिए जवाबदेह फूड बिजनेस ऑपरेटर होंगे|' अपने आदेश मे FSSAI ने बताया कि रिकॉल प्लान कंपनियों के फूड बिजनेस के एनुअल ऑडिट का हिस्सा होगा।'

रिकॉल प्लान पर सख्ती से कंपनियों मे खलबली

इंडस्ट्री के कुछ लोगों का मानना है कि सरकार बहुत सख्ती बरत रही है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक लीडिंग कंपनी के सीईओ ने बताया, 'रिकॉल प्रक्रिया के बारे में बात करने से पहले FSSAI को अपनी टेस्टिंग प्रोटोकॉल और सैंपल के साइज के बारे में बात करना चाहिए और कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए।' इस व्यक्ति ने बताया, 'रिकॉल का ऑर्डर सख्त कदम है और इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है।'

अमूल ब्रांड के डेयरी प्रॉडक्ट बनाने वाली कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर आर एस सोढ़ी ने कहा, 'सिस्टेमैटिक फूड रिकॉल प्रोसेस एक जरूरत है। इंडस्ट्री के लिए यह होना चाहिए, लेकिन यह प्रोसेस आसान होना चाहिए, खासतौर पर इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स रिटेल बिजनेस वाले एनवायरमेंट में।' FSSAI ने अपने लेटर में लिखा है कि वह विदेश में बनने वाले और एक्सपोर्ट होने वाले फूड के रिकॉल की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है।

FSSAI ने कहा कि एक बार रिकॉल शुरू होने के बाद रिटेलर्स को तुरंत दुकान से वह प्रॉडक्ट हटा लेना चाहिए और मैन्युफैक्चर, इम्पोर्टर या होलसेलर को रिटर्न करना चाहिए|वहीं, कंपनियों को कंज्यूमर्स को इस बारे में प्रेस रिलीज, लेटर और विज्ञापनों के जरिए जानकारी देनी चाहिए|कंपनियों को संबंधित अथॉरिटीज को 'रिकॉल स्टेटस रिपोर्ट' देकर उसे ताजा हाल की जानकारी देते रहना चाहिए। यह कम से हफ्ते में एकबार किया जाए। रेगुलेटर ने कहा, 'फूड रिकॉल इंडस्ट्री, सरकार और खासतौर पर इसके कंज्यूमर्स के हित में है।'

ऐसे ही सवाल उठते है हलाल सर्टिफिकेट, ISO सर्टिफिकेट और अन्य सर्टिफिकेटो के संबंध मे|

कंपनी द्वारा अपनी वैबसाइट पर दावा किया गया है कि उसने विदेशो मे निर्यात करने के संबंध मे आवश्यक होने वाले सर्टिफिकेट जैसे ISO,BRC,EIC,APEDA और हलाल सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिए है|ऐसे मे सवाल उठता है कि दसियों अधिकारियों द्वारा इन सर्टिफिकेटो को जारी करने से पहले इस प्लांट का निरीक्षण किया होगा तब उन्हे कंपनी द्वारा इस गंदे और प्रदूषित जल भराव के बारे मे क्या बताया गया होगा?कहीं उन्हे भी तो कंपनी द्वारा मैनेज तो नहीं किया गया था?

क्या केंद्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा जारी की गयी भूजल दोहन संबंधी एनओसी की शर्तों का हो रहा पालन?

बिकाजी कंपनी को इसके करणी विस्तार स्थित फूड प्लांट के लिए वर्ष 2015 मे 2 ट्यूबवेल लगाने की अनुमति प्रदान की गयी थी,इस अनुमति के तहत कंपनी को 172 m3/day अथवा 51600m3/year साफ पानी के दोहन की इजाजत दी गयी थी|इसी प्रकार कंपनी को उसके बिछवाल स्थित प्लांट के लिए 1 ट्यूबवेल लगाने की अनुमति प्रदान की गयी थी,इस अनुमति के तहत कंपनी को 15 m3/day अथवा 4500 m3/year साफ पानी के दोहन की इजाजत दी गयी थी|लेकिन स्थानीय व्यापारियों के अनुसार कंपनी द्वारा इससे कहीं अधिक पानी का दोहन किया जा रहा है,साथ ही व्यापारियों को आशंका है कि इसके करणी स्थित प्लांट मे 2 से अधिक ट्यूबवेल खोदे जा चुके है,जिनसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी स्वीकृति से कहीं अधिक जल का दोहन किया जा रहा है|गौरतलब है कि बीकानेर क्षेत्र भूजल के हिसाब से डार्क ज़ोन मे है,और केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा बीकानेर के बीकानेर ज़ोन मे मात्र 16 भूजल अनुमतियाँ ही स्वीकृत की गयी है,जिनमे से दो स्वीकृति तो बिकाजी के पास ही है|जानकारो के अनुसार कंपनी द्वारा नियमानुसार 100 m3/day से अधिक 172 m3/day भूजल का दोहन किया जा रहा है जिसके लिए बोर्ड के नियमों के तहत कंपनी को अपनी वॉटर ऑडिट करवानी आवश्यक है लेकिन कंपनी द्वारा इस वॉटर ऑडिट मे भी भयंकर अनियितताएं बरती जा रही है|जानकारो के अनुसार कंपनी को अपने भूजल दोहन का वार्षिक सेंपल टेस्ट सर्टिफ़ाईड NABL लेब से करवाना आवश्यक है और इस टेस्ट रिपोर्ट को बोर्ड की वैबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है|इस NABLटेस्ट से पानी मे आने वाले आयनों(धनायन और ऋणायन)भारी तत्वों/पेस्टिसाइड,ओर्गनिक कंपाउंड की जानकारी मिलती है|सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट मे भी कंपनी द्वारा जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है|

अपनी वैबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा 6 कुओं का उपयोग रैनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए किया जा रहा है|साथ ही खुद की लेब होने की बात कही गयी है

- Total plant area- 60,000 m^2 (40,000 m^2 built-up, while the remaining is dedicated to Green Area Development)
- Utility section area- 1,890 m^2 (Including Thermic Fluid Heaters with the capacity of 10 Million Kcal/hr, air compressors delivering 1,800 CFM/hr and power backup of 3000 KVA)
- 6 Groundwater Recharging wells connected to Rainwater Harvesting inside facility premises.
- ETP Plants with a capacity of 1000 m^3/Day, 100 m^3/Day*2 respectively and 100 m^3/day of STP for treatment of water, making the facility a Zero Discharge Facility.
- All systems operated, controlled & managed by the latest ERP system of D360, by the ERP Market Leaders- Microsoft.
- Certifications- ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, BRC issue 8 with 'A' grade, HALAL certification, EIC approval for milk products processing establishment, APEDA approval for peanut-based products processing.
- Machinery- processing, production and packing machines imported from Germany, Australia, Netherland, China, Taiwan, Italy, USA etc.
- Quality and Testing- Fully equipped chemical and microbiology laboratory in the factory

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास
और गंगा संरक्षण विभाग
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation
Central Ground Water Authority

(भूजल निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र)
NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) FOR GROUND WATER ABSTRACTION

Project Name:	M/s Bikaji Foods International Ltd.		
Project Address:	M/s Bikaji Foods International Ltd., E-558-561, C-569-572, E-573-577, F-585-592. Karni Ext., Riico Industrial Area		
Village:	Beechhwal (rural)	Block:	Bikaner
District:	Bikaner	State:	Rajasthan
Pin Code:			
Communication Address:	F-196-197 Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Bikaner, Bikaner, Rajasthan - 334006		
Address of CGWB Regional Office :	Central Ground Water Board Western Region, 6-a, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasthan - 302004		

1.	**NOC No.:**	CGWA/NOC/IND/REN/1/2021/6250			
2.	Application No.:	21-4/638/RJ/IND/2014	3.	Category: (GWRE 2020)	Over Exploited
4.	Project Status:	Existing Ground Water	5.	NOC Type:	Renewal
6.	**Valid from:**	24/09/2020	7.	**Valid up to:**	23/09/2022

8. Ground Water Abstraction Permitted:

Fresh Water		Saline Water		Dewatering		Total	
m³/day	m³/year	m³/day	m³/year	m³/day	m³/year	m³/day	m³/year
172.00	51600.00						

9. Details of ground water abstraction /Dewatering structures

	Total Existing No.:2						Total Proposed No.:0					
	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu	DW	DCB	BW	TW	MP	MPu
Abstraction Structure*	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

*DW- Dug Well; DCB-Dug-cum-Bore Well; BW-Bore Well; TW-Tube Well; MP-Mine Pit;MPu-Mine Pumps

10.	Ground Water Abstraction/Restoration Charges paid (Rs.):	154800.00		
11.	Number of Piezometers(Observation wells) to be constructed/ monitored & Monitoring mechanism.	No. of Piezometers	Monitoring Mechanism	
			Manual	DWLR**	DWLR With Telemetry
	**DWLR - Digital Water Level Recorder	1	0	1	0

(Compliance Conditions given overleaf)

This is an auto generated document & need not to be signed.

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी भूजल दोहन की अनुमति

18/11, जामनगर हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011 / 18/11, Jamnagar House, Mansingh Road, New Delhi-110011
Phone: (011) 23383561 Fax: 23382051, 23386743
Website: cgwa-noc.gov.in

पानी बचाये – जीवन बचाये
SAVE WATER - SAVE LIFE

केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा जारी भूजल दोहन की अनुमति

Validity of this NOC shall be subject to compliance of the following conditions:

Mandatory conditions:

1) Installation of tamper proof digital water flow meter with telemetry on all the abstraction structure(s) shall be mandatory for all users seeking No Objection Certificate and intimation regarding their installation shall be communicated to the CGWA within 30 days of grant of No Objection Certificate.

2) Proponents shall mandatorily get water flow meter calibrated from an authorized agency once in a year.

3) Construction of purpose-built observation wells (piezometers) for ground water level monitoring shall be mandatory as per Section 14 of Guidelines. Water level data shall be made available to CGWA through web portal. Detailed guidelines for construction of piezometers are given in Annexure-II of the guidelines.

4) Proponents shall monitor quality of ground water from the abstraction structure(s) once in a year. Water samples from bore wells/ tube wells / dug wells shall be collected during April/May every year and analysed in NABL accredited laboratories for basic parameters (cations and anions), heavy metals, pesticides/ organic compounds etc. Water quality data shall be made available to CGWA through the web portal.

5) In case of mining projects, additional key wells shall be established in consultation with the Regional Director, CGWB for ground water level monitoring four (4) times a year (January, May, August and November) in core as well as buffer zones of the mine.

6) In case of mining project the firm shall submit water quality report of mine discharge/ seepage from Govt. approved/ NABL accredited lab.

7) The firm shall report compliance of the NOC conditions online in the website (www.cgwa-noc.gov.in) within one year from the date of issue of this NOC.

8) Industries abstracting ground water in excess of 100 m 3 /d shall undertake annual water audit through certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to CGWA. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next three years through appropriate means.

9) Application for renewal can be submitted online from 90 days before the expiry of NOC. Ground water withdrawal, if any, after expiry of NOC shall be illegal & liable for legal action as per provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

10) This NOC is subject to prevailing Central/State Government rules/laws/norms or Court orders related to construction of tube well/ground water abstraction structure / recharge or conservation structure/discharge of effluents or any such matter as applicable.

General conditions:

11) No additional ground water abstraction and/or de-watering structures shall be constructed for this purpose without prior approval of the Central Ground Water Authority (CGWA).

12) The proponent shall seek prior permission from CGWA for any increase in quantum of groundwater abstraction (more than that permitted in NOC for specific period).

13) Proponents shall install roof top rain water harvesting in the premise as per the existing building bye laws in the premise.

14) The project proponent shall take all necessary measures to prevent contamination of ground water in the premises failing which the firm shall be responsible for any consequences arising thereupon.

15) In case of industries that are likely to contaminate the ground water, no recharge measures shall be taken up by the firm inside the plant premises. The runoff generated from the rooftop shall be stored and put to beneficial use by the firm.

16) Wherever feasible, requirement of water for greenbelt (horticulture) shall be met from recycled / treated waste water.

17) Wherever the NOC is for abstraction of saline water and the existing wells (s) is /are yielding fresh water, the same shall be sealed and new tubewell(s) tapping saline water zone shall be constructed within 3 months of the issuance of NOC. The firm shall also ensure safe disposal of saline residue, if any.

18) Unexpected variations in inflow of ground water into the mine pit, if any, shall be reported to the concerned Regional Director, Central Ground Water Board.

19) In case of violation of any NOC conditions, the applicant shall be liable to pay the penalties as per Section 16 of Guidelines.

20) This NOC does not absolve the proponents of their obligation / requirement to obtain other statutory and administrative clearances from appropriate authorities.

21) The issue of this NOC does not imply that other statutory / administrative clearances shall be granted to the project by the concerned authorities. Such authorities would consider the project on merits and take decisions independently of the NOC.

22) In case of change of ownership, new owner of the industry will have to apply for incorporation of necessary changes in the No Objection Certificate with documentary proof within 60 days of taking over possession of the premises.

23) This NOC is being issued without any prejudice to the directions of the Hon'ble NGT/court orders in cases related to ground water or any other related matters.

24) Proponents, who have installed/constructed artificial recharge structures in compliance of the NOC granted to them previously and have availed rebate of upto 50% (fifty percent) in the ground water abstraction charges/ground water restoration charges, shall continue to regularly maintain artificial recharge structures.

25) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, pharmaceutical, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution as per Annexure III of the guidelines.

26) In case of new infrastructure projects having ground water abstraction of more than 20 m3/day, the firm/entity shall ensure implementation of dual water supply system in the projects.

27) In case of infrastructure projects, paved/parking area must be covered with interlocking/perforated tiles or other suitable measures to ensure groundwater infiltration/harvesting.

28) In case of coal and other base metal mining projects, the project proponent shall use the advance dewatering technology (by construction of series of dewatering abstraction structures) to avoid contamination of surface water.

29) The NOC issued is conditional subject to the conditions mentioned in the Public notice dated 27.01.2021 failing which penalty/EC/cancellation of NOC shall be imposed as the case may be.
30) This NOC is issued subject to the clearance of Expert Appraisal Committee (EAC) (if applicable).

(Non-compliance of the conditions mentioned above is likely to result in the cancellation of NOC and legal action against the proponent.)

CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY

ना तो रिको सुन रही और ना ही सरकार सुन रही स्थानीय व्यापारियों की फ़रियाद, क्या एनजीटी ही है आखरी उपाय???

करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश कोठारी से बातचीत करने पर उन्होने बताया कि वर्ष 1993 के बाद से करणी ओद्योगिक क्षेत्र मे उद्योगों की स्थापना होना चालू हो गयी थी,जिनसे निकलने वाला गंदा और प्रदूषित पानी यहाँ के गड्डो मे इक्कठा होना शुरू हुआ था,धीरे धीरे यह गंदा और प्रदूषित पानी यहाँ के 3 लाख वर्ग मीटर मे फैल गया,पर्यावरण विभाग को सौंपी अपनी रिपोर्ट मे रिको द्वारा सीईटीपी और अन्य सुविधाओं का हवाला देते हुए,इस गंदे और प्रदूषित जल भराव की जगह पर भी प्लानिंग बता दी गयी|लेकिन वास्तविकता इससे कहीं कोसो दूर है,ना तो रिको द्वारा अपने वादे के अनुसार सीईटीपी लगाया गया और ना ही इस जल भराव पर उद्योगों की स्थापना हो सकी,उल्टा इस करोड़ो की जल भराव की जमीन पर मिट्टी डाल-डाल कर,कब्जे कर लिए गए|आज स्थिति यह है कि इस 300000 वर्ग मीटर की जमीन मे से 130000 वर्ग मीटर पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हो चुके है और शेष बची 170000 वर्ग मीटर जमीन पर अभी भी गंदे और प्रदूषित पानी का भराव है |उन्होने आगे बताया कि प्रदूषण विभाग इस गंदे और प्रदूषित जल भराव के संबंध मे एवं सीईटीपी लगाने के लिए कई बार रिको को नोटिस भी जारी कर चुका है और इस मामले मे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और श्रीमान मुख्य सचिव महोदय भी कई बार हस्तक्षेप कर चुके है,लेकिन नतीजा वहीं ढाक के तीन पात सामने आता है|

एनजीटी की लताड़

सीएस आर्य के हाजिर नहीं होने पर इसी माह सेवानिवृत्ति का दिया था तर्क

'सीएस काम नहीं कर सकते, तो दूसरे को मौका दें'

चेतावनी, अब शपथ पत्र नहीं तो रोकेंगे वेतन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने इसी माह सेवानिवृत्ति का तर्क देकर एक मामले में हाजिर नहीं होने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य को लताड़ लगाई है।

एनजीटी ने तल्ख टिप्पणी की है कि सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यह तर्क देकर सीएस काम बंद नहीं कर सकते। यदि असमर्थ हैं, तो प्रशासनिक हित में अन्य किसी को मौका दिया जाना चाहिए। पांच मई तक सुनवाई टालते हुए एनजीटी ने चेतावनी दी कि अब मुख्य सचिव का व्यक्तिगत शपथ पत्र नहीं आया तो इसके आने तक दोषी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया जाएगा। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की चार सदस्यीय बेंच ने पिछले दिनों यह आदेश दिया।

एनजीटी ने यह जानने का प्रयास किया

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट 31 मार्च 2018 तक लगाने को कहा था। एनजीटी की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आदेश की पालना के रास्तों पर सीएस से जवाब चाहते थे।

मुख्य सचिव न हाजिर हुए और न ही पेश किया शपथ पत्र

एनजीटी ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव ने न तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की और न पक्ष रखने के लिए स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिर हुए। यहां तक कि उनका शपथ पत्र भी पेश नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एनजीटी ने बीकानेर के नोखा गांव में कृषि भूमि पर उद्योगों व सीवरेज का पानी छोड़े जाने के भंवर लाल भार्गव के परिवाद पर दिए आदेश में यह टिप्पणी की है। एनजीटी ने मौजूदा व भावी मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि आदेशों की पालना कराकर दो माह में

उस समय रिको द्वारा 26 करोड़ सीईटीपी स्थापना के लिए मंजूर किए थे,अब यदि यहाँ पर सीईटीपी की स्थापना की जाए तो इसकी लागत 50 करोड़ आती है|जिसे देखते हुए रिको अपने हाथ खड़े कर चुका है और उल्टा उद्दमियों से ही पैसा मांग रहा है|यदि यही हालात रहे तो एनजीटी को इस मामले मे हस्तक्षेप करना पड़ेगा जिसका खामियाजा यहाँ चल रहे उद्योगों को उठाना पड़ेगा,गौरतलब है कि अपने कई आदेशों मे एनजीटी सीईटीपी नहीं लगने की स्थिति मे वहाँ चल रहे उद्योगों को बंद करवाने के आदेश जारी कर चुका है|ऐसे ही एक मामले मे बीकानेर के नौखा गाँव की कृषि भूमि पर उद्योगों व सीवरेज का पानी छोड़े जाने पर एनजीटी द्वारा वर्तमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा रिटायर्रमेंट का बहाना बनाकर शपथ पत्र ना देने के मामले मे फटकार लगते हुए,यहाँ तक कह दिया था कि वर्तमान सीएस काम नहीं कर सकते तो दूसरे को मौका क्यूँ नहीं देते?

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Regd.Post

F: 14/Tech/Bikaner(45)/RPCB/B&C-४४३०-४४३२ Date: 4-1-२१

Senior Regional Manager,
M/s RIICO Ltd.,
Industrial Area Karni Extension, Bichhw
Village-Chak Garbi & 7 BKM,
Tehsil & District-Bikaner, Rajasthan.

प्रदूषण मण्डल द्वारा हाल ही मे रिको को जारी किया गया शो कॉज़ नोटिस

Subject: - Show cause notice for intended legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 and under Environment (Protection) Act, 1986 for your industrial area development plan, "Karni Extension" at Bichwal, Bikaner.

Reference: -

a) CTE issued vide letter no. F(MUID)/Bikaner/1(1)/2011-2012/7521-7523 dated 17.01.2012.
b) Environmental Clearances issued vide letter no.F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.7(c) (978)/15-16 dated 11.04.2017.
c) Inspection of Industrial Area dated 20.06.2020.
d) Show cause notice for intended legal prosecution issued vide dated 05.10.2020.
e) Complaints regarding water pollution, violation of EIA Notifcation, 2006 and EC conditions.

Sir,

This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as 'the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the Water Act') and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the Air Act') and under the Environment (Protection) Act, 1986 (hereinafter called as 'EP Act') for violation of various provisions of the Act here-in-after shown:-

1. Whereas the Water Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 23.03.1974, the Air Act came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16.05.1981 and the EP Act came into force in the whole of the Country of India with effect from 19.11.1986.
2. And whereas, the said Water and Air Act are enacted to provide for the prevention & control of Water and Air pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of Water and Air.
3. And whereas, keeping this in view the Board has been conferred powers to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of water and air pollution.
4. And whereas, section 21 of the Air Act and section 25/26 of the Water Act prohibit establishing or operating an industrial plant and discharge of air and water pollutants without obtaining prior consent of the State Board.
5. And whereas, the unit is operating industrial area development project (Karni Extension) at Bichhwal, Bikaner, that is covered under red category project for consent mechanism of State Board in compliance of Water Act and Air Act.
6. And whereas, Consent to Establish dated 17.01.2012 was valid upto 30.11.2014 however unit has not applied for renewal/extension of Consent to Establish/Consent to Operate.

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

7. And whereas, the unit has commissioned Karni-Extension without prior Consent to Operate from State Board hence violated the condition no. 4 of Consent to Establish letter dated 17.01.2012.
8. And whereas, unit had submitted proposal before SEIAA to install a CETP for treatment of effluent generated from existing Karni Industrial Area and Industrial Area Bichwal to ensure Zero liquid discharge in proposed project area.
9. And whereas, Environmental Clearance was granted with condition that PP shall invest at least an amount of Rs. 4277.29 Lac (before the project is put into use) for implementing various environmental protection measures.
10. And whereas, condition of Environmental Clearance has been violated by putting the project in operation without investing Rs. 4277.29 Lac for implementing various environmental protection measures.
11. And whereas, several complaints regarding water pollution in the area, violation of EIA Notification, 2006 and violation of EC conditions are being received against the unit.
12. And whereas, complaints were verified on 25.06.2020 by Board Officials of Regional Office Bikaner and observed that the unit is non complaint of conditions of EC and provisions of the Water Act, 1974 & Air Act, 1981.
13. And whereas, a show cause notice intending legal prosecution was issued to the unit vide dated 05.10.2020 for non-compliances of conditions of CTE, non-compliances of conditions of EC and shortcomings of inspection carried out.
14. And whereas, unit has failed to submit any reply for the above referred notice till date.
15. And whereas, the unit has utterly failed to comply with the conditions of EC letter dated 11.04.2017 and also violated provisions of EIA Notification, 2006 and provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974, & Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which have been viewed seriously by the Board.

Therefore, the Board, in order to prevent further pollution being caused at the project area and for non- compliance of the provisions of the Acts, intends to initiate legal prosecution under section 37, 38 and 39 of the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, under section 43 and 44 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 15 read with section 19 of the Environment Protection Act, 1986.

In case you have any objection against the aforesaid legal action, you may submit your reply to this Office along with a copy to Regional Office, Bikaner within 15 days failing which the Board shall initiate legal prosecution against the unit and its occupiers under the provisions of the Air Act Water Act and the EP Act, 1986 without any further notice.

Yours sincerely,

(Anand Mohan)
Member Secretary

Copy to following for information and necessary action:

1) Regional Officer, Regional Office, RSPCB, Bikaner with request to verify the reply submitted by the unit, if any. Also ensure delivery of this notice to the industry.
2) Master file of Show cause notice.

3.1.22
SEE and GIC (HBC) O/C

प्रदूषण मण्डल द्वारा हाल ही मे रिको को जारी किया गया शो कॉज़ नोटिस

मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड,

बीकानेर द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र, फेस तृतीय को विकसित करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 27.04.2016 को ग्राम चक गर्बी एवं 7 बीकेएम, तहसील एवं जिला बीकानेर में आयोजित जन सुनवाई की बैठक का कार्यवृत्त ।

मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, बीकानेर द्वारा ग्राम चक गर्बी के खसरा नं. 371, 373, 374 मी, 374 मी, 377 मी, 378 मी, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 390 मी, 419मी, एवं 7 बीकेएम के खसरा नं. 77/19, 77/20, 77/21, 77/27, 77/28, 77/29, 77/35, 77/43, 77/52, 77/59, 97/3, 97/4, में प्रस्तावित करणी औद्योगिक क्षेत्र फेस तृतीय हेतु आयोजित जन सुनवाई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 27.04.2016 को प्रातः 11:00 बजे रिको कार्यालय, बीछवाल औधोगिक क्षेत्र, बीकानेर में आयोजित की गई ।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर द्वारा लोक सुनवाई की विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक भास्कर, बीकानेर के दिनांक 17.03.2016 एवं द इण्डियन एक्सप्रेस, जयपुर के दिनांक 17.03.2016 में प्रकाशित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आपत्ति /आक्षेप आमंत्रित किये गये थे । (संलग्न–अ व संलग्न–ब)

यह जनसुनवाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा श्री हरि प्रसाद पिपरालिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

जन सुनवाई को प्रारम्भ करते हुए श्री आर. के मण्डावत, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर ने जनसुनवाई अधिसूचना के प्रावधानों एवं उद्देश्य के बारे में बताया एवं श्री हरि प्रसाद पिपरालिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर को जनसुनवाई को सूचारू रूप से चलाने हेतु सुझाव एवं मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया ।

श्री हरि प्रसाद पिपरालिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर ने उपस्थित जन प्रतिनिधि, पधारे हुए अधिकारियों एवं आम जन का स्वागत करते हुए कहा कि यह जन सुनवाई रीको द्वारा प्रस्तावित ग्राम चक गर्बी एवं 7 बीकेएम में करणी औद्योगिक क्षेत्र फेस तृतीय विकसित करने के लिए जनता से सुझाव व आक्षेप आमंत्रित करने हेतु आयोजित की गई है अतः सभी, परियोजना प्रस्तावक (रीको लि.) के सलाहकार के द्वारा परियोजना की जानकारी दिये जाने के बाद, खुले एवं बिना किसी दबाव के अपने विचार रखें तथा जो भी सुझाव एवं आक्षेप देना चाहें वे दे सकते हैं ।

इसके उपरान्त मैसर्स भगवती अना लैब्स प्राईवेट लिमिटेड (ब्यूरो वराईटी समूह की कम्पनी) के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के बारे में तथा परियोजना के कारण पर्यावरण पर पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव व प्रबन्ध के बारे में आमजन को पावर प्वांइट प्रजन्टेशन के माध्यम से अवगत कराते हुए जानकारी प्रदान की गई ।

पर्यावरण स्वीकृति जारी करने से पूर्व हुई जन सुनवाई के मिनिट्स,जिसमे रिको द्वारा पर्यावरण कारको पर 4277.29 लाख रुपए खर्च करने की हामी भरी थी|

लोक सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढाते हुए सलाहकार मैसर्स भगवती अना लैब्स प्राईवेट लिमिटेड (ब्यूरो वराईटी समूह की कम्पनी) द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जैसे की भू–खण्ड का आकार, क्षेत्रीय विवरण परियोजना स्थान का मानचित्र, रीको की विकास योजना वायु प्रदूषण व नियंत्रण योजना, ध्वनि प्रदूषण व नियंत्रण योजना, जल प्रदूषण व नियंत्रण योजना, अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पर्यावरणीय बजट आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया साथ ही तत्पश्चात् वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लि0 द्वारा करणी औद्योगिक क्षेत्र तृतीय फेस के विस्तार हेतु उद्यमियों को उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए समस्त उपस्थित लोगों को यह अवगत कराया कि ग्राम चक गर्बी एवं 7 बीकेएम तहसील व जिला बीकानेर में 86.82 हैक्टेयर (214.53 एकड़) भूमि में करणी विस्तार औद्योगिक क्षेत्र तृतीय फेस का विस्तार किया जाएगा। यहां पानी के दो जलाशय बीछवाल और सोभासर ग्रामों के पास स्थित है (प्रस्तावित परियोजना स्थल से करीब 9 किमी)। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र करणी विस्तार में फूड प्रोसेसिंग हेतु 40.14 हैक्टेयर, जनरल इकाईयों हेतु 21.14 हैक्टेयर, सर्विसेज, व्यावसायिक, सीईटीपी व अन्य हेतु 14.52 हैक्टेयर भूमि का नियोजन प्रस्तावित है। इस औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रभाव एवं शमन के उपाय, पर्यावरण बजट सी.एस.आर, बजट का प्रावधान भी रखा गया है। करणी औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से करीबन 500 से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 5000 अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में प्रवेश मार्गों को डामरीकरण किया जाकर और सशक्त किया जाएगा। इस औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के पश्चात् आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा, किराये के आवास के लिए अतिरिक्त आवास की मांग में वृद्धि होगी, बाजार एवं व्यापार संसस्थापना सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक और सौंदर्यीकरण सुविधाओं में भी वृद्धि होगी तथा संचार, यातायात, शिक्षा, सामुदायिक विकास और चिकित्सकीय सुविधाओं में भी सुधार होगा।

इसके बाद श्री आर.के. मण्डावत ने उपस्थित जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया। जन प्रतिनिधिगण एवं सामान्य जनों के प्रस्तुत प्रश्न/संशय/आपत्तियों/सुझाव निम्नानुसार है:–

उद्यमी श्री जग्गी, निवासी बीकानेर ने वर्तमान में प्रोजेक्ट के लगने पर उत्पन्न प्रदूषित जल की समस्या के समाधान हेतु प्रश्न उठाया ।

श्री शरद रंगा, निवासी बीकानेर ने करणी औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का स्वागत करते हुए निवेदन किया कि उक्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखा जावे ताकि नये उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।

बीकाजी फूड प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री दिनेश व्यास ने उक्त औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बीकानेर के लिए यह एक उपलब्धि है जिससे जिले का न सिर्फ विकास होगा बल्कि इससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

उक्त प्रश्न/संशय/आपत्तियॉ/सुझाव वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने बताया कि इस समस्या के समाधान हेतु सीईटीपी हेतु 2600 लाख एवं एसटीपी हेतु 175 लाख के बजट का

प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट लेण्डफिलिंग के लिये 300 लाख के बजट का प्रावधान है। आंतरिक उच्छिष्ठ प्रवाह प्रणाली के लिये 400 लाख, हरित बैल्ट के लिये 371.37 तथा वर्षा जल पुनर्भरण तकनिकी के लिये 5.92 लाख एवं आवंटित उद्यमियों के द्वारा भी वर्षा जल पुनर्भरण तकनिक के कियान्वयन करने के प्रावधान है। सीईटीपी के लिये भूमि आरक्षित की गई है। तमाम कार्य उद्यमियों के सहयोग से किया जावेगा।

अन्त में, माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय ने बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों, उद्यमियों एवं आम जन का धन्यवाद करते हुए जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की । लोक सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव/पत्र प्राप्त नही हुए।

(आर. के. मण्डावत)
राप्रनिमं, बीकानेर

राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर

(हरि प्रसाद पिपरालिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)
जिला बीकानेर

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या बिकाजी के नए प्लांट के लिए ही रिको के अधिकारियों द्वारा प्लान किया गया था, बीकानेर का करणी औद्योगिक क्षेत्र फेज तृतीय(विस्तार)?
2. आखिर क्यूँ मुकर रहा है रिको सीईटीपी लगाने से?क्या रिको की वादा खिलाफी पड़ेगी बिकाजी और अन्य उद्योगों पर भारी?
3. इस प्रदूषित जल भराव का टीडीएस 2000 से भी ऊपर,क्या पड़ रहा है आस-पास के उद्योगों पर इसका दुष्प्रभाव?
4. आखिर 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र मे गंदे और प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी की गयी थी रिको को पर्यावरण स्वीकृति?
5. इस 300000 वर्ग मीटर जल भराव क्षेत्र मे से 130000 वर्ग मीटर पर कचरा डाल कर किए जा रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जो का जिम्मेदार कौन?

6. 60 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र मे फैले बिकाजी के फूड प्लांट के सामने 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र मे प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी की गयी बिकाजी को प्रदूषण मण्डल द्वारा कनसेंट टु ओपरेट?
7. क्या बिकाजी के फूड प्लांट मे काम आने वाला भूजल नहीं प्रभावित हो रहा इस प्रदूषित जल भराव से?
8. क्या इस गंदे और प्रदूषित जल भराव से दूषित होने वाली आबोहवा का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा बिकाजी के खाद्य उत्पादो पर?
9. केंद्रीय भूजल बोर्ड,भारत सरकार द्वारा कितने ट्यूबवेल लगाने की अनुमति प्रदान की गयी थी बिकाजी को?वर्तमान मे क्या बिकाजी केंद्रीय भूजल बोर्ड के प्रावधानों की पालना कर रहा है?
10. क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड के नियमों के तहत बिकाजी कंपनी अपने फूड प्लांट की वॉटर ऑडिट करवाती है?
11. क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड के नियमों के तहत बिकाजी अपने भूजल दोहन का वार्षिक सेंपल टेस्ट सर्टिफ़ाईड NABL लेब से करवा कर उसे विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाया जाता है?

12. क्या बिकाजी द्वारा करणी विस्तार स्थित फूड प्लांट के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गयी है?जैसा कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे दावा कर रहा है?

13. गंदे और प्रदूषित जल भराव होने के बावजूद कैसे जारी हुआ बिकाजी को FSSAI द्वारा फूड लाइसेन्स?

14. क्या FSSAI के नियमों के तहत किसी बड़े गंदे और प्रदूषित जल भराव के नजदीक विश्व स्तरीय फैक्ट्री का दावा करने वाली कंपनी के फूड प्लांट को खाद्य पदार्थों के उत्पादन,पेकेजिंग भंडारण की इजाजत दी जा सकती है?

15. कंपनी द्वारा विदेशो मे निर्यात करने के संबंध मे आवश्यक होने वाले सर्टिफिकेट जैसे ISO,BRC,EIC,APEDA और हलाल सर्टिफिकेट किन आधारो पर प्राप्त किए गए?

16. क्या नेस्ले की मेगी जैसा होगा बिकाजी का हश्र???

17. FSSAI को क्या प्रस्तुत किया गया है बिकाजी द्वारा रिकाल प्लान?क्या भविष्य मे FSSAI को इस रिकॉल प्लान पर अमल करवाने का आदेश जारी करना पड़ सकता है?

18. रिको और सरकार नहीं सुन रही स्थानीय व्यापारियों की सीईटीपी लगाने की फ़रियाद!!क्या एनजीटी ही है आखरी उपाय???

क्रमांक	जिम्मेदार सरकारी विभाग	संबन्धित ज़िम्मेदारी
1	रिको,बीकानेर	ओद्योगिक भूखंडो के आवंटन मे पारदर्शिता,पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की पालना संबंधी
2	प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,बीकानेर	रिको द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की पालना संबंधी,बिकाजी के प्लांट के नजदीक गंदे और प्रदूषित जल भराव से होने वाले जल और वायु प्रदूषण की जांच संबंधी
3	केंद्रीय भूजल बोर्ड	बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को प्रदान की गयी भूजल दोहन संबन्धित शर्तों की पालना संबंधी
4	FSSAI,केंद्र सरकार	बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को प्रदान किए गए फूड लाइसेन्स की शर्तों की पालना संबंधी
5	APEDA	बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को प्रदान किए गए लाइसेन्स की शर्तों की पालना संबंधी
6	एक्सपोर्ट इंसपेक्शन काउंसिल,वाणिज्य विभाग,भारत सरकार	बिकाजी के करणी विस्तार स्थित प्लांट को प्रदान किए गए लाइसेन्स की शर्तों की पालना संबंधी